कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर।

सार्वजनिक नीलामी सूचना

मुख्यालय, गाजीपुर के मध्य प्रांगण में स्थित न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गाजीपुर के सामने पूर्व दिशा में तथा 04 कक्षीय नवनिर्मित न्यायालय भवन के उत्तर दिशा में स्थित पुराना निष्प्रयोज्य भवन (मिडियेशन सेन्टर) जिसका मूल्यॉकन रू0 2,82,284.6461, जे0 एम0 ब्लाक (पूर्वी प्रांगण) रू0 12,38,626.47 एवं सी0जे0एम0 ब्लाक (मध्य प्रांगण) रू0 15,44,997.36 कुंल रू0 30,65,908.00 प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है को चरणबद्व तरीके से ध्वस्त करने तथा मलवा हटाने हेतु सार्वजनिक नीलामी दिनांक 02/09/2020 को दस कक्षीय न्यायालय भवन के मुख्य सभागार में अपरान्ह् 03.00 बजे उपसमिति आधारभूत संरचना, जनपद न्यायालय, गाजीपुर के उपस्थिति में करायी जायेगी।

नीलामी हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म नीलामी किये जाने वाले भवन का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से 05.00 बजे सायं तक कार्यस्थल पर आकर कर सकते हैं।

नीलामी की नियम एवं शर्ते निम्नवत हैं :–

1– प्रत्येक बोली दाता को अपना फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2– नीलामी की बोली बोलने से पूर्व उपरोक्त भवन की भली भॉति पहचान व निरीक्षण कर ले।

3– नीलामी में भाग लेने हेतु रू0 3,10,000/– की धनराशि जमानत के रूप में जमा करना होगा।

4– नीलामी केवल भवन एवं उसमें लगी अचल वस्तुओ के लिए ही है। फर्नीचर, फिक्स्चर्स, चल सम्पत्ति आदि नीलामी में सम्मिलित नहीं हैं। भूमि पर पूर्ण अधिकार न्याय विभाग का होगा।

5– सभी बोली दाताओ को सभी नियम एवं शर्तो के पालन का घोषणा पत्र देना होगा।

6– यदि भवन को तोड़ते समय कोई पुरातत्व महत्व की अथवा खजाना/दुर्लभ वस्तुए प्राप्त होती है तो इसकी सूचना तत्काल विभाग एवं पुलिस प्रशासन को देना होगा तथा ऐसी समस्त सम्पत्तियों पर अधिकार न्याय विभाग/सरकार का होगा।

7– भवन के तोड़ने का कार्य प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक ही किया जा सकेगा।

8– भवन तोड़ते समय कोई श्रमिक, कर्मचारी एवं अन्य व्यक्तियो की दुर्घटना होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेंदारी बोलीदाता/फर्म/व्यक्ति की होगी।

9– भवन को तोड़ते समय सम्पूर्ण न्यायालय परिसर को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।

10– संबंधित बोलीदाता/फर्म/व्यक्ति द्वारा ध्वस्त किये गये भवन के मलवे को समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर परिसर से हटाना होगा।

11– किसी भी उच्चतम नीलामी बोली को सरसरी तौर पर बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पास सुरक्षित है।

12– उच्चतम नीलामी बोली को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अनुमोदन उपरान्त ही अमल में लायी जायेगी और जो भी शर्ते माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्धारित की जायेगी उसे मानना बाध्यकारी होगा।

13– नीलामी बोली माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरान्त सम्पूर्ण धनराशि एक मुश्त जमा करनी होगी।

14– अपूर्ण एवं गलत अभिलेख प्रस्तुत करने पर सम्पूर्ण नीलामी की कार्यवाही रद्द की जा सकती है।

15– अन्य कोई भी शर्त जो नीलामी से पूर्व समिति द्वारा घोषित की जा सकती है, जिसे मानना सभी के लिए बाध्यकारी होगा।

18.8.2020

दिनांक–अगस्त 18 ,2020

(मो0 रिज़वानुल हक)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–1/
अध्यक्ष, उपसमिति आधारभूत संरचना,
जनपद न्यायालय, गाजीपुर।